अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना में अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार हेतु मासिक किराया आधार पर चालक सहित वाहन उपलब्ध कराने हेतु पंजीकृत परिवहन एजेंसियों से निम्न शर्तो के अधीन मुहरबन्द लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जाती है।

वाहन का प्रकार

1. **Tata Safari/Scorpio/**Innova(A/C)(Model 2015 के पूर्व का नहीं)- 01(एक) अदद
2. Swift Dzire/Indigo ecs(A/C)(Model 2015 के पूर्व का नहीं) - 02(दो) अदद

निविदा दिनांक 30.08.2017 के 5:00 बजे अपराह्न तक सीलबन्द लिफाफे में अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सिंचाई भवन ब्लॉक नं०-4, पुराना सचिवालय, पटना-800001 के पते पर निबंधित डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि तक प्राप्त निविदा को दिनांक 01.09.2017 को अध्यक्ष (पीठासीन पदाधिकारी) बिहार वक्फ न्यायाधिकरण, पटना के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा।

निविदा से संबंधित शर्तें निम्न है :-

3. (i) निविदा के साथ रू0 5000/- (पाँच हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट, अवर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से अग्रधन के रूप में जमा करना होगा।
   (ii) आपूर्ति किये जाने वाले वाहन का व्यवसायिक उपयोग के लिये निबंधित होने का प्रमाण-पत्र होना चाहिये।
   (iii) परिवहन विभाग/क्षेत्रिय परिवहन प्राधिकार से प्राप्त अनुज्ञप्ति पत्र/केन्द्रीय मोटर परिवहन नियमावली 1989 के नियम 102(2) एवं पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम 1986 की अनुसूची VI के तहत प्राप्त प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
   (iv) जी०एस०टी० निबंधन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
   (v) पिछले तीन वर्षो का आयकर रिटर्न की छायाप्रति।
   (vi) एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये गये वाहन का मोटरयान निरीक्षक द्वारा फिटनेस प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
   (vii) तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख कर दिया जाय। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जायेगा।
4. उपलब्ध कराये गये वाहन की मरम्मति की अवधि में दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। वाहन के ईंधन एवं मरम्मति का कार्य एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। ईंधन प्रतिमाह अधिकतम 110 लीटर उपलब्ध कराना होगा।
5. सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अनुबंध किसी भी समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा रदद् किया जा सकता है।
6. वाहन का व्यवहार न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अपने आवास से न्यायाधिकरण कार्यालय आने एवं जाने के लिये किया जायेगा। विशेष परिस्थिति में सरकार के आदेश प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं सदस्य राज्य के किसी भी हिस्सा में यात्रा कर सकते हैं। अवकाश अवधि में भी वाहन का उपयोग आवश्यकतानुसार सरकारी कार्य हेतु किया जा सकेगा।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक................ पटना, दिनांक...............

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को चार अतिरिक्त प्रति एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि इस सूचना को राष्ट्रीय दो हिन्दी दैनिक एवं दो अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में यथाशीघ्र प्रकाशित किया जाय एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी कृपया दी जाय।

ह०/-
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक....1757.... पटना, दिनांक..11.8.17.

प्रतिलिपि :- विभागीय सूचना पट पर प्रदर्शन हेतु निर्गत शाखा/विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु आई०टी० मैनेजर, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित।

11/08/17

सरकार के अवर सचिव